

भाग-द

विकास प्राधिकरण की अम्बुक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र
(प्रार्थना पत्र के भाग-‘अ’, ‘ब’ एवं ‘स’ की फोटोकॉपी पर जारी किया जाए)

..... वार्ड / योजना / मोहल्ला / सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या पर विकसित योजना के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री (पदनाम) दिनांक को विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 क (2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर
पदनाम
कार्यालय की मुहर
दिनांक